न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 12 / 2024

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2024 / 179

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
चतराराम पुत्र खुमाराम जाति–मेघवाल, निवासी–दांतिया, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर		1 राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार सांचौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :– **तारीख रजु :– 09.09.2024**

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रामचन्द्र खोरवाल उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 10.01.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पेश किया, बाद कार्यालय टिप्पणी प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के स्वंय की खातेदारी अधिकारो की भूमि मौजा सरवाना, पटवार हल्का–सरवाना तहसील–सांचौर जिला–जालोर के खेत खाता नंबर 92, खेत खसरा नंबर 1052 / 1485 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1060 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1061 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1062 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1063 रकबा 5.40 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम गैर मुमकिन बैरा चाही सोयम जाव की आई हुई है। प्रार्थी खुमाराम का गोद पुत्र हैं प्रार्थी के प्राकृतिक पिता का नाम खेमराज था। प्रार्थी के पक्ष में गोदनामा के रजिस्टर्ड दस्तावेज उप पंजीयक कार्यालय सांचौर में दिनांक 25.02.1981 को किया गया है, उक्त गोदनामा मेरी गोद माता राधा बेवा खूमाजी ने रजिस्टर्ड करवाया था। उक्त रजिस्टर्ड गोदनामा के बाद मेरी वल्दियत खूमाजी (खूमाराम) हो गई। प्रार्थी की गोद माता राधा देवी बेवा खूमाजी की मृत्यु के बाद उनकी चल एवं अचल संपतियों का मालिकाना हक प्रार्थी को प्राप्त हो गये तथा खेत खाता नंबर 92, खेत खसरा नंबर 1052 / 1485 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1060 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1061 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1062 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1063 रकबा 5.40 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, गैर मुमकिन बेरा चाही सोयम जाव में राधा देवी की फौतगी पर नामान्तरकरण संख्या 820 रजिस्टर्ड गोदनामा के जरिये दिनांक 13.02.83 को हल्का पटवार द्वारा अमलदरामद करते समय प्रार्थी की वल्दियत खुमाराम की जगह गलती से खेमराज अंकित कर दी गई है। प्रार्थी [illegible] का सही नाम खुमाराम है। प्रार्थी के आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड एवं अ[illegible] प्रार्थी के पिता का नाम खुमाराम अंकित है और इसी नाम से जाना व पुकारा जाता है। प्रार्थी पंजिबद्ध गोदनामा के आ[illegible] पर खुमाराम का गोद पुत्र होने से तथा उसके पश्चात प्रार्थी की गोद माता राधा देवी के फौत होने प[illegible]दगी के समय व अन्य कृषि भूमि अर्जित करते समय प्रार्थी की वल्दियत यानि उसके पिता का नाम खुमाराम के स्थान पर खेमराज राजस्व रेकर्ड में अंकित हो गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.01.27 12:02:53 IST
Reason: SelfAttested

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की गोद माता

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

राधा देवी बेवा खूमाजी की मृत्यु के बाद उनकी चल एवं अचल संपतियों का मालिकाना हक प्रार्थी को प्राप्त हो गये तथा खेत खाता नंबर 92, खेत खसरा नंबर 1052/1485 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1060 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1061 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1062 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1063 रकबा 5.40 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, गैर मुमकिन बेरा चाही सोयम जाव में राधा देवी की फौतगी पर नामान्तरकरण संख्या 820 रजिस्टर्ड गोदनामा के जरिये दिनांक 13.02.83 को हल्का पटवार द्वारा अमलदरामद करते समय प्रार्थी की वल्दियत खुमाराम की जगह गलती से खेमराज अंकित कर दी गई है। अंकित कर दी गई है इसलिए प्रार्थी के गोद पिता का नाम खेमराज के स्थान पर खुमाराम दुरूस्त करने का आदेश फरमावें।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् वर्तमान जमाबंदी, मिलान क्षैत्रफल, नामान्तरकरण संख्या 820 का अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् पहचान–पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड आदि में प्रार्थी के पिता का नाम खुमाराम दर्ज है। अतः उपरोक्त तमाम दस्तावेजात् से प्रार्थी के पिता का नाम खेमराज की बजाय खेमाराम किया जाना उचित प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

परिणामस्वरूपः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि मौजा सरवाना, पटवार हल्का सरवाना में खेत खाता नंबर 92, खेत खसरा संख्या 1052/1485 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1060 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1061 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1062 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1063 रकबा 5.40 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, गैर मुमकिन बैरा, चाही सोयम जाव भूमि प्रार्थी के पिता का नाम खेमराज की बजाय खुमाराम के नाम की इन्द्राज दुरूस्ती की जावें।

प्रमोद कुमार (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **10.01.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.01.27 12:02:53 IST
Reason: SelfAttested